

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग
सं०-३/आ० वि० (संघा०)-०१-०२/२०१२- 754

प्रेषक,
निदेशक।

सेवा में,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 05/4/2013

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर योजनान्तर्गत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु० जाति आवासीय विद्यालयों तथा अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ सामग्री एवं पूर्तिया तथा अन्य मद में अनु० जाति आवासीय विद्यालयों हेतु आवंटनादेश सं०-०७ दिनांक 18.05.12 द्वारा ₹26,62,60,000/- (छब्बीस करोड़ बासठ लाख साठ हजार) आवंटनादेश सं०-६७ दिनांक 07.01.2013 द्वारा ₹2,58,10,000/- (दो करोड़ अन्ठावन लाख दस हजार), आवंटनादेश सं०-८२, दिनांक 21.02.2013 द्वारा कुल ₹4,40,42,000/- (चार करोड़ चालीस लाख बयालीस हजार) तथा आवंटनादेश संख्या-१०४, दिनांक 26.03.2013 द्वारा ₹32,37,000/- (बत्तीस लाख सैंतीस हजार) आवंटित किया गया है।

उसी प्रकार अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ सामग्री एवं पूर्तिया तथा अन्य में आवंटनादेश सं०-०६ दिनांक-18.05.2012 द्वारा ₹5,75,36,400/- (पाँच करोड़ पचहत्तर लाख छत्तीस हजार चार सौ रुपये), आवंटनादेश सं०-६८, दिनांक 07.01.2013 द्वारा ₹31,43,000/- (एकत्तीस लाख तैंतालीस हजार रुपये) तथा आवंटनादेश संख्या-८३, दिनांक 21.02.2013 तथा ₹79,85,000/- (उनासी लाख पचासी हजार रुपये) आवंटित किया गया है।

उक्त आवंटनादेशों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाय, ताकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन की कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन

05.4.13

निदेशक

ज्ञापक-३/आ० वि० (संघा०)-०१-०२/२०१२- 754

पटना, दिनांक- 05/4/2013

प्रतिलिपि:- (1) सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला पदा०, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05.4.13
निदेशक